रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD NO D.L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 215] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 25, 2010/भाद्र 3, 1932
No. 215] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 25, 2010/BHADRA 3, 1932

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2010

फा. सं. 61-03/2010/एनसीटीई (एन एंड एस).—निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 23 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 31 मार्च, 2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 750(अ) के अनुसरण में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एतद्द्वारा इस अधिसूचना की तिथि से निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 2 के खण्ड (ढ) में संदर्भित स्कूलों में कक्षा I से VIII में अध्यापक के रूप में नियुक्ति की पात्रता हेतु निम्नलिखित न्यूनतम योग्यता निर्धारित करती है :—

1. न्यूनतम योग्यता —

(i) कक्षा I-V

(क) न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (जिस नाम से भी जाना जाता हो)

या

न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (जिस नाम से भी जाना जाता हो), जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानक और क्रियाविधि) विनियम, 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

या

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र स्नातक (बी.एल.एड.)

या

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (विशेष शिक्षा)

और

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निरुपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन उपयुक्त सरकारों द्वारा आयोजित [अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी) में उत्तीर्ण]।

(ii) <u>कक्षा VI-VIII</u>

(क) बी.ए./बी.एससी और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (जिस नाम से भी जाना जाता हो)

या

न्यूनतम 50% अंकों के साथ बी.ए. / बी.एस.सी. एवं शिक्षा शास्त्र में एकवर्षीय स्नातक (बी.एड.)

या

न्यूनतम 45% अंकों के साथ बी.ए./बी.एससी एवं शिक्षा शास्त्र में एकवर्षीय स्नातक (बी.एड.) जो इस संबंध में समय-समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानक और क्रियाविधि) विनियम के अनुसार प्राप्त किया गया हो

या

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र स्नातक (बी.एल.एड.)

या

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय बी.ए./बी.एससी एड. या बी.ए.एड./बी.एससी.एड.

या

न्यूनतम 50% अंकों के साथ बी.ए./बी.एससी एवं एकवर्षीय बी.एड. (विशेष शिक्षा)

और

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निरुपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन, उपयुक्त सरकारों द्वारा आयोजित [अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी) में उत्तीर्ण]।

2. अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम – इस अधिसूचना के संदर्भ में केवल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (राअशिप) द्वारा मान्यता–प्राप्त अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यकम मान्य होगा। शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) और बी.एड. (विशेष शिक्षा) के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) द्वारा मान्यता–प्राप्त पाठ्यकम मान्य होगा ।

3. विशेष अनिवार्य प्रशिक्षण – वह व्यक्ति,

(क) जिसके पास न्यूनतम 50% अंकों के साथ बी.ए./बी.एससी और बी.एड. योग्यता है, कक्षा I से V में नियुक्ति के लिए 1 जनवरी, 2012 तक पात्र होगा, बशर्ते कि वह नियुक्ति के बाद

प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र मे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता–प्राप्त 6–माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर ले ।

(ख) जिसके पास डी. एड. (विशेष शिक्षा) या बी.एड. (विशेष शिक्षा) की योग्यता है, उसे नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त 6–माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

4. **इस अधिसूचना की तिथि से पहले नियुक्त अध्यापक** :– इस अधिसूचना की तिथि से पूर्व कक्षा I से VIII के लिए नियुक्त निम्नलिखित श्रेणी के अध्यापकों को उपर्युक्त पैरा (1) में निर्धारित न्यूनतम योग्यता हासिल करने की आवश्यकता नहीं है :–

(क) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण) विनियम, 2001 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अनुसार 3 सितम्बर, 2001 अथवा उसके बाद नियुक्त अध्यापक।

किन्तु बी.एड. की योग्यता रखने वाले कक्षा I से V के अध्यापकों या बी.एड. (विशेष शिक्षा) या डी.एड. (विशेष शिक्षा) की योग्यता रखने वाले अध्यापकों को प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता–प्राप्त 6–माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा ।

(ख) कक्षा I से V के शिक्षा स्नातक (बी.एड) योग्यताधारी अध्यापक जिसने पूर्व में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित 6–माह का विशेष आधारभूत अध्यापक पाठ्यक्रम (विशेष बी.टी.सी.) पूरा कर लिया है ।

(ग) भर्ती नियमों के अनुसार 3 सितम्बर, 2001 से पहले नियुक्त अध्यापक।

5. कुछ मामलों में इस अधिसूचना की तिथि के बाद नियुक्त अध्यापक — इस अधिसूचना की तिथि से पूर्व यदि सरकारों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों अथवा विद्यालयों द्वारा विज्ञापन जारी कर अध्यापकों की नियुक्ति की प्रकिया आरम्भ कर दी गई है, ऐसी स्थिति में नियुक्तियाँ, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण) विनियम, 2001 (समय–समय पर यथासंशोधित) के अनुसार की जा सकती हैं।

हसीब अहमद, सदस्य-सचिव
[विज्ञापन III/4/131/10-असा.]

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2010

F. No. 61-03/20/2010/NCTE/(N&S).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009), and in pursuance of Notification No. S.O. 750 (E) dated 31st March, 2010 issued by the Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Government of India, the National Council for Teacher Education (NCTE) hereby lays down the following minimum qualifications for a person to be eligible for appointment as a teacher in class I to VIII in a school referred to in clause (n) of Section 2 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, with effect from the date of this Notification :—

1 **Minimum Qualifications.-**

(i) **Classes I-V**

(a) Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 2 - year Diploma in Elementary Education (by whatever name known)

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 45% marks and 2 - year Diploma in Elementary Education (by whatever name known), in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure), Regulations 2002

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4-year Bachelor of Elementary Education (B. El. Ed.)

OR

3344 GI/10-2

Training to be undergone.- A person -

h BA/B.Sc. with at least 50% marks and B. Ed qualification shall also be eligible for appointment for class I to V
ist January, 2012, provided he undergoes, after appointment, an NCTE recognized 6-month special programme in
entary Education.

vith D. Ed (Special Education) or B. Ed (Special Education) qualification shall undergo, after appointment, an NCTE
ognized 6-month special programme in Elementary Education.

Teacher appointed before the date of this Notification.- The following categories of teachers appointed for
asses I to VIII prior to date of this Notification need not acquire the minimum qualifications specified in Para (1) above,:

a) A teacher appointed on or after the 3rd September, 2001 i.e. the date on which the NCTE (Determination of Minimum Qualifications for Recruitment of Teachers in Schools) Regulations, 2001 (as amended from time to time) came into force, in accordance with that Regulation.

Provided that a teacher of class I to V possessing B. Ed qualification, or a teacher possessing B. Ed (Special Education) or D. Ed (Special Education) qualification shall undergo an NCTE recognized 6 – month special programme on elementary education.

(b) A teacher of class I to V with B. Ed qualification who has completed a 6-month Special Basic Teacher Course (Special BTC) approved by the NCTE;

(c) A teacher appointed before the 3rd September, 2001, in accordance with the prevalent Recruitment Rules.

5 Teacher appointed after the date of this Notification in certain cases.- Where an appropriate Government, or local authority or a school has issued an advertisement to initiate the process of appointment of teachers prior to the date of this Notification, such appointments may be made in accordance with the NCTE (Determination of Minimum Qualifications for Recruitment of Teachers in Schools) Regulations, 2001 (as amended from time to time).

HASIB AHMAD, Member-Secy.
[ADVT III/4/131/10-Exty.]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 2 - year Diploma in Education (Special Education)

AND

(b) Pass in the Teacher Eligibility Test (TET), to be conducted by the appropriate Government in accordance with the Guidelines framed by the NCTE for the purpose.

(ii) Classes VI-VIII

(a) B.A/B.Sc and 2 - year Diploma in Elementary Education (by whatever name known)

OR

B.A./B.Sc. with at least 50% marks and 1 - year Bachelor in Education (B. Ed)

OR

B.A./B.Sc. with at least 45% marks and 1 - year Bachelor in Education (B. Ed), in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations issued from time to time in this regard

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4-year Bachelor in Elementary Education (B. El. Ed)

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4-year BA/B.Sc. Ed or B.A. Ed./BSc. Ed.

OR

B.A./B.Sc. with at least 50% marks and 1 - year B.Ed. (Special Education)

AND

(b) Pass in the Teacher Eligibility Test (TET), to be conducted by the appropriate Government in accordance with the Guidelines framed by the NCTE for the purpose.

2 **Diploma/Degree Course in Teacher Education.-** For the purposes of this Notification, a diploma/degree course in teacher education recognized by the National Council for Teacher Education (NCTE) only shall be considered. However, in case of Diploma in Education (Special Education) and B. Ed (Special Education), a course recognized by the Rehabilitation Council of India (RCI) only shall be considered.

① 23 ऑगस्ट 2010 च्या NCTE च्या अधिसूचनेनुसार 23.08.2010 पूर्वी शिक्षक कर्मचाऱ्यांना ~~सूट~~ दिलेली सूट कायम ठेवण्यात यावी.

② 2017 ची NCTE ची अधिसूचना रद्द करावी.

~~(४)~~ 15 मार्च 2024 च्या शासननिर्णयातील संचमान्यतेतील ~~किमान विद्यार्थ्यांची~~
~~मान्य शिक्षक पदसंख्या टिकविण्यासाठी~~ ~~४.०३~~

③ सध्या मंजूर असलेली शिक्षकांची पदे टिकविण्यासाठी विहित केलेली किमान पटसंख्येची अट रद्द करावी.
उदा. 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असेल तरी 2 शिक्षक पदे मंजूर करावीत.

④ ~~20~~ ~~पेक्षा~~ 20 पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळेवरील कंत्राटी शिक्षक भरती रद्द करावी. व नियमित ~~शिक्षकांच्या~~ शिक्षकांचे पद देण्यात यावीत.

⑤ जुनी पेन्शन.

* राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक, व उच्च माध्यमिक शाळांना ~~7~~ 7 व्या वेतन आयोगानुसार वेतनेत्तर अनुदान देण्यात यावे.